22-8-2019

पत्रावली पेश हुई। तकुबाव उपर रेस्टोरेशन प्रा.पत्र पर वकील प्रार्थी श्री प्रवीण भंडारी व वकील अप्रार्थी श्री भरत जे राठौड़ व श्री अमजद अली की रेस्टोरेशन प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन व उभय पक्ष तकुबाव की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रा.पत्र धारा 251 (अ) को दिनांक 14-9-2018 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर जरिये विड्रोवल प्रा.पत्र खारिज करवाया। तथा दिनांक 14-9-2018 को न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र खारिज किये जाने के पश्चात् पुनः पूर्व में प्रस्तुत धारा 251 (अ) रा.का. के प्रा.पत्र में संशोधन की मांग करते हुये रेस्टोरेशन की मांग की मांग करते हुये की गई। जिस प्रा.पत्र पर उक्त प्रा.पत्र दर्ज की गई हुआ है। प्रस्तुत प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि उक्त रेस्टोरेशन प्रा.पत्र में पूर्व प्रस्तुत धारा 251 (अ) में संशोधन की मांग की गई है, जो विधि के प्रावधानों अनुसार रेस्टोरेशन प्रा.पत्र के

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कारवाई
	माध्यम से अनुतोष में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसके लिये प्रार्थीगण को प्रकरण खारिज से पूर्व आदेश 6 नियम 17 व्य.प्र.सं. के तहत संशोधन की मांग की जानी थी। जिन प्रावधानो की पालना करने में प्रार्थी विफल रहा है। जिससे उक्त रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के लिये प्रार्थीगण के पास कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है, एवं बिना विधिक प्रावधानो की पालना किये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण को चाहिये था, कि वे अपना अनुतोष नियमो में निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्राप्त करते। प्रार्थीगण ऐसा करने में पूर्णतः असमर्थ रहे है, जिससे उक्त आधारहीन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।
	उप-खण्ड अधिकारी, पाली

Scanned by CamScanner